न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

प्र0स0 120/19 ता0रजु. 26.11.19 किरम मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 15.1.202

सरकार

बनाम

बिरीसिंह पुत्र उमराव

पत्रावली आज पेश हुई। पटवारी हल्का कपूरा मल्लूका ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है। कि ग्रा कपूरा मल्लूका के खसरा नम्बर 754, 755 रकबा 0.21, 0.17 हैक्ट. किस्म भूमि चारागाह पर सम्वत 2076 में श्री बिरीसिंह s/o उमराव जाति ... सा. कपूरा मल्लूका तह0 बयाना ने 0.08 हैक्ट. अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण 91 एलआरएक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटि तलब किया गया। जो नोटिस के सन्दर्भ में गैर सायल द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया जो शामि पत्रावली किया गया। गैर सायल द्वारा उपने जवाब में स्वंय का अतिक्रमण नहीं होना अंकित करते हुये पुनः जां कराने का प्रार्थना की है। प्रकरण में भू.अ.निरी. से पुनः जांच कराई गई। भू.अ.निरी. द्वारा अपनी पुनः जांच रिपो दिनांक 13.01.2020 में अतिक्रमी का अतिक्रमण होना अंकित किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत जवाब भू.अ.नि की जांच रिपोर्ट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरान्त इस निष्कर्ष पर पंहुचता है। कि अप्रार्थी के विरु न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहि में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरूद्व न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 754, 755 रकवा 0.08 हैक्ट. वाके ग्राम कपूरा मल्लूका से बेदखल किया जाता है लगान 0.32 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 16/- रूपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की न कायमी टी.आर.ए. हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली खडी फसल को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/ अ कब्जा/ बेदखली बाबत हल्का पटवारी/ गिरदावर को आदेश जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर हो। निर्णय दिनांक 15.1.20 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
बयाना